न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 04/2018 निर्णय दिनांक 25/01/2018

उनवानः- सरकार बनाम सत्यमान

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का सलेमाबाद ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 693/496 रकबा 0-10 बीघा किस्म चारागाह बारे ग्राम आड़कपुर पर सत्यमान पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी आड़कपुर तहसील बाड़ी ने सम्वत् 2074 रबी/खरीफ में फसल सरसों कर अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि1956की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी सत्यमान पुत्र राधेश्याम

जाति ब्राह्मण निवासी आड़कपुर को आ. ख. नं. 693/496

रकवा 0-10 बीघा वारे ग्राम आड़कपुर से तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाता है तथा लगान 225 का 50 गुना शास्ती राशि 113/- (अक्षरे रूपेय एक सौ तेरह रुपये मात्र) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावें। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आज दिनांक 25/01/2018 को खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज.

113-